UPKN010067412020

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–01, कानपुर–नगर।

उपस्थित : श्री अजय कुमार त्रिपाठी–II .... उच्चतर न्यायिक सेवा

फौजदारी निगरानी संख्या–149/2020

1. श्याम सुन्दर जायसवाल उम्र 56 वर्ष पुत्र स्व0 जवाहर लाल जायसवाल
2. रमा जायसवाल उम्र 50 वर्ष पत्नी श्याम सुन्दर जायसवाल
3. मीना देवी उम्र लगभग 30 वर्ष पुत्री श्याम सुन्दर जायसवाल
   निवासीगण म0नं0–60/8 पुरानी दालमण्डी, थाना–कलक्टरगंज, कानपुर–नगर।

.............निगरानीकर्तागण

बनाम

1. उ0प्र0 सरकार द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, कानपुर–नगर।
2. जयकिशन चौधरी ''मृतक'' पुत्र मोहनलाल
3. राजदीप चौधरी ''मृतक'' पुत्र जयकिशन

3/1. श्रीमती नीलिका चौधरी पत्नी स्व0 राजदीप चौधरी
3/2. कु0 इशिका चौधरी पुत्री स्व0 राजदीप चौधरी
3/3. सुयश चौधरी पुत्र स्व0 राजदीप चौधरी

...............विपक्षीगण

निर्णय

1. प्रस्तुत फौजदारी निगरानी, निगरानीकर्तागण श्याम सुन्दर जायसवाल आदि की ओर से धारा–397 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत विचारण न्यायालय नगर मजिस्ट्रेट, कानपुर–नगर द्वारा मुकदमा वाद सं0–201/2019 कमला देवी चौधरी बनाम श्याम सुन्दर जायसवाल आदि में पारित आदेश दिनांकित 03.10.2020 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रस्तुत निगरानी में निगरानीकर्तागण की ओर से निगरानी के आधारों में यह कथन किया गया है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 03.10.2020 विधिसम्मत् आदेश नहीं पारित किया गया है, जबकि रिवीजन न्यायालय अपर जिला जज कक्ष सं0–07, कानपुर–नगर द्वारा क्रिमिनल रिवीजन सं0–497/2015 में पारित आदेश दिनांकित 23.10.2018 में पूर्व में पारित विचारण न्यायालय के आदेश दिनांकित 11.09.2015 को अपास्त करते हुए स्पेशल डायरेक्शन निगरानी न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय को दिये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा निगरानी न्यायालय के आदेश का अवलोकन न करते हुए सरसरी तौर पर आदेश दिनांकित 03.10.2020 पारित किया गया, जो स्थिर रहने योग्य नहीं है। निगरानीकर्तागण उपरोक्त दुकान पर अपना व्यापार विदेशी शराब, जो कि लाइसेन्स संख्या–04/2012–13 रिन्यूवल 2015–2016 नवीनीकरण दिनांक 25.06.2015 को किया गया, जबकि नवीनीकरण अप्रैल माह सत्र से माना जाता है। स्पष्ट है कि दुकान पर निगरानीकर्तागण का कब्जा पूर्व से ही है और पूर्व आदेश दिनांक 11.09.2015 के समय भी निगरानीकर्तागण का व्यापार सुचारू रूप से चल रहा था। कब्जे की स्थिति में निगरानीकर्तागण के हक में पूर्व से ही थी। विचारण न्यायालय में प्रपत्र दाखिल किये गये और जब विचारण न्यायालय द्वारा आदेश दिनांकित 11.09.2015 पारित किया गया और उस समय निगरानीकर्तागण का काफी सामान माल दुकान में बन्द था, तब निगरानीकर्तागण ने विचारण न्यायालय में प्रार्थनापत्र देकर विचारण न्यायालय से आदेश दिनांकित 23.09.2015 प्राप्त किया और विचारण न्यायालय ने यह आदेश पारित किया कि विवादित भाग की सील खुलवाकर विपक्षी का माल जो कि परिसर में रखा है, की फर्द बनवाकर उसे विधिक रूप से प्रदान कर दें। विचारण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांकित 03.10.2020 के द्वारा यह स्पष्ट किया है कि विपक्षी प्रार्थनापत्र यानी कि निगरानीकर्ता दिनांकित 12.11.2018 निरस्त किया जाता है, जबकि

निगरानीकर्तागण का दिनांक 12.11.2018 प्रार्थनापत्र यह था कि आदेश दिनांकित 19.09.2015 पर थाना–कलक्टरगंज पुलिस द्वारा सील की गयी थी, का ताला खुलवाकर प्रार्थी के कब्जे में पूर्ववत् देने की कृपा करें। यह प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र विचारण न्यायालय को दिया गया और एक प्रार्थनापत्र कमला देवी, जो कि मृतक है, के पति द्वारा दिनांक 12.11.2018 को दिया गया, जो कि अपने प्रार्थनापत्र में यह लिखा कि विवादित दुकान पर काबिज कराये जाने का आदेश पारित किया गया है। उक्त दोनों प्रार्थनापत्र विचारण न्यायालय में विचाराधीन थे और उक्त प्रार्थनापत्रों पर बिना प्रार्थी को सुने व बिना पत्रावली का अवलोकन किये सरसरी तौर पर प्रार्थी का प्रार्थनापत्र दिनांकित 12.11.2018 निरस्त कर दिया गया और विपक्षी के हक में आदेश पारित किया गया, जो त्रुटिपूण है। भूमिखण्ड सं0–59/129 पुरानी दालमण्डी, कानपुर–नगर पर निगरानीकर्तागण का ही कब्जा था। अपर जिला जज, कानपुर–नगर के आदेश दिनांकित 23.10.2018 का अनुपालन नहीं किया गया और मात्र अन्तरिम आदेश पारित किया गया है, मात्र प्रार्थनापत्र का निस्तारण किया गया है, जबकि न्यायालय द्वारा अन्तरिम आदेश पारित नहीं किया जा सकता था, क्योंकि उक्त प्रकरण मेरिट का है। विचारण न्यायालय ने धारा–145 द0प्र0सं0 प्रार्थनापत्र दिनांकित 05.05.2015 में कार्यवाही विद्यमान है। उसका कोई निस्तारण अंतिम रूप से नहीं किया गया है। उक्त आदेश के स्थिर रहने पर निगरानीकर्तागण को अपूर्णनीय क्षति होगी। उक्त आदेश पारित करते समय निगरानीकर्तागण द्वारा दाखिल जवाब दिनांकित 13.02.2019 का अवलोकन नहीं किया गया है। निगरानीकर्तागण द्वारा लिखित बहस दाखिल की गयी थी, किन्तु उसका भी अवलोकन नहीं किया गया। पक्षकारों के मध्य सिविल वाद विचाराधीन थे और वर्तमान में विपक्षी सं0–2 के विरूद्ध सिविल वाद चल रहा है। विचारण न्यायालय द्वारा आदेश पारित करते समय न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग नहीं किया गया है और सरसरी तौर पर उक्त आदेश पारित किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा समय–समय पर प्रतिपादित माननीय उच्च न्यायालय के दृष्टान्तों का भी अवलोकन नहीं किया गया है और उक्त आदेश पारित किया गया है। आदेश दिनांकित 03.10.2020 स्थिर रहने योग्य नहीं है। निगरानीकर्तागण द्वारा कब्जे को लेकर सबूत के तौर पर लाइसेन्स सं0–4 श्रीमान् जी के अवलोकन हेतु दाखिल किया जा रहा है और पुलिस रिपोर्ट से भी स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा किन्हीं भी प्रपत्रों का अवलोकन नहीं किया गया है। अतः निगरानी स्वीकार कर मुकदमा वाद सं0–201/2019 कमला देवी चौधरी बनाम श्याम सुन्दर जायसवाल आदि में पारित आदेश दिनांकित 03.10.2020 निरस्त किया जाए।

3. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा निगरानी पर आपत्ति की गयी और यह कथन किया गया है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश सर्वथा विधिसम्मत् है। उक्त आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। निगरानी बलहीन है एवं निरस्त होने योग्य है।

4. शेष विपक्षीगण की तरफ से भी निगरानी पर आपत्ति की गयी और यह कथन किया गया है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 03.10.2020 विधिसम्मत् है। विधि एवं तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए विचारण न्यायालय द्वारा विधिसम्मत् आदेश पारित किया गया है। अतः आलोच्य आदेश बहाल रखे जाने योग्य है तथा निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है।

5. उभयपक्षों को सविस्तार सुना जा चुका है। मैंने पत्रावली एवं प्रश्नगत आदेश का अवलोकन किया।

6. पत्रावली के परिशीलन से विदित होता है कि प्रस्तुत मामले में स्वीकृत रूप से भूमिखण्ड सं0–59/129 पुरानी दालमण्डी, कानपुर–नगर के विपक्षीगण किरायेदार हैं। निगरानीकर्तागण द्वारा शराब की दुकान करने हेतु विपक्षीगण से एक एग्रीमेन्ट किया एवं उसी आधार पर उक्त भूमिखण्ड सं0–59/129 में एक कमरे में शराब की दुकान निगरानीकर्तागण एवं विपक्षी द्वारा संचालित की जाती रही। उक्त किरायानामा/समझौतानामा की डीड वर्ष 2011–2012 से प्रारम्भ होकर वर्ष

2013–2014 तक के लिये समझौता हुआ था। उपरोक्त अवधि के पश्चात् उक्त समझौतानामा पत्रावली पर नहीं था। इस बीच पक्षों के मध्य विवाद होने पर विपक्षीगण द्वारा दिये गये प्रार्थनापत्र पर विचारण न्यायालय द्वारा दुकान को सीज कर दिया गया था। उक्त सीजर आदेश दिनांकित 11.09.2015 के विरूद्ध वर्तमान निगरानीकर्तागण द्वारा निगरानी सं0–497/2015 योजित की गयी। उक्त निगरानी में निगरानी न्यायालय द्वारा कथित सीजर आदेश दिनांकित 11.09.2015 को निरस्त कर दिया और पुनः विधिअनुसार आदेश पारित किये जाने हेतु आदेशित किया गया था। उक्त आदेश के पश्चात् विचारण न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनने के उपरान्त विपक्षी/निगरानीकर्तागण द्वारा दिये गये प्रार्थनापत्र दिनांकित 12.11.2018 को निरस्त करते हुए यह आदेशित कर दिया था कि थानाध्यक्ष कलक्टरगंज, कानपुर–नगर प्रश्नगत दुकान, जिसका विवरण अन्त में दिया गया है, का ताला खुलवाकर उसका कब्जा व दखल कमला देवी के पति जयकिशन चौधरी को अविलम्ब दिलाकर दिनांक 09.10.2020 को न्यायालय को सूचित करें। उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर निगरानीकर्तागण द्वारा प्रस्तुत निगरानी योजित की गयी।

7. प्रस्तुत मामले में यह स्वीकृत तथ्य है कि भूमिखण्ड सं0–59/129 पुरानी दालमण्डी, कानपुर–नगर के स्वामी श्री राम लक्ष्मण जानकी विराजमान मंदिर हैं तथा उन्हीं के किरायेदार विपक्षीगण हैं। यह तथ्य भी स्वीकृत है कि निगरानीकर्तागण द्वारा अंग्रेजी शराब की दुकान को संचालित करने हेतु विपक्षीगण से एक पंजीकृत समझौतानामा किया गया। उक्त समझौतेनामे के आधार पर पक्षकारगण द्वारा विदेशी मदिरा की दुकान संचालित की जाती रही है। पत्रावली पर उक्त समझौतानामा वर्ष 2012–2013 एवं वर्ष 2013–2014 तक के लिये किया जाना दर्शित होता है। इस मध्य पक्षकारगण में विवाद होने के उपरान्त वर्ष 2014 के बाद कोई समझौतानामा नहीं हुआ। इस सन्दर्भ में विपक्षीगण की तरफ से श्रीमती कमला देवी द्वारा प्रार्थनापत्र समक्ष सक्षम प्राधिकारी दिया गया, जिस पर विचारण न्यायालय द्वारा धारा–145 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत पक्षकारगण को सुनवाई हेतु आहूत किया गया। उसी क्रम में दिनांक 11.09.2015 को विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत किये गये अभिलेखीय साक्ष्यों के अवलोकन और उनके तर्कों को सुनने के उपरान्त विवादित भूखण्ड को कुर्क किये जाने हेतु आदेशित किया गया था। उक्त आदेश के पश्चात् वर्तमान निगरानीकर्तागण द्वारा ही निगरानी सं0–497/2015 योजित की गयी थी, जिसमें निगरानी न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अपास्त करते हुए यह निर्देशित किया था कि पक्षकारों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के पश्चात् पुनः आदेश पारित किया जाए। निगरानी न्यायालय द्वारा यह भी निष्कर्षित किया गया था कि विचारण न्यायालय को इस बिन्दु पर एक विस्तृत जांच की जानी चाहिये कि कौन सा पक्ष विवादित भूखण्ड पर वास्तविक कब्जे में था। उक्त आदेश के उपरान्त उभयपक्षों द्वारा न्यायालय के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत की गयी थी। विचारण न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनने के उपरान्त दिनांक 03.10.2020 को विवादित भूखण्ड में विपक्षीगण को वास्तविक कब्जे में पाते हुए विपक्षीगण को कब्जा प्रदान करने हेतु आदेशित किया था। प्रस्तुत मामले में विचारण न्यायालय द्वारा यह भी निष्कर्षित किया गया था कि '' मैंने दोनों पक्षों की बहस सुनी। मैंने पत्रावली में दाखिल साक्ष्य का अवलोकन किया। विपक्षी ने अपने जवाबदावा की धारा–3 में यह स्वीकार किया है कि जब उसकी दुकान का नवीनीकरण 2013–2014 के लिये हो गया तो एक समझौता हुआ, जो जवाबदावा का संलग्नक–1 है। उक्त समझौतापत्र की धारा–6 में यह अंकित था कि अगर दुकान का नवीनीकरण होता है तो आपसी सहमति एवं पूर्व शर्तों के आधार पर ही बढ़ाया जा सकेगा और उक्त भागीदारी विलेख की धारा–2 में यह भी अंकित है कि द्वितीयपक्ष लाभ की 25 प्रतिशत की पार्टनरी थी, इसलिये विपक्षी के साथ वादिनी का कब्जा भी साबित है। चूंकि 2014 में आपसी सहमति नहीं बनी और भागीदारी विलेख क अवधि सन् 2014 में समाप्त हो गयी तो विपक्षी का उक्त दुकान पर कोई भी कब्जा नहीं माना जायेगा, बल्कि उस पर कब्जा वादिनी का बहैसियत किरायेदारी व बहैसियत भागीदारी विलेख माना जायेगा। इस प्रकार विपक्षी का प्रश्नगत दुकान पर न तो कोई कब्जा है और न ही कोई अधिकार है। ''

8. प्रस्तुत प्रकरण में दौरान बहस पृच्छा किये जाने पर निगरानीकर्ता पक्ष द्वारा यह कथन किया गया है कि उक्त सम्पत्ति में उनका जो भी प्रवेश था, वह भागीदारी विलेख के जरिये ही था। भागीदारी विलेख के सन्दर्भ में यह आ चुका है कि वर्ष–2014 में उक्त समझौतानामा के समय बीतने पर समाप्त हो जाने पर वह पुनः नवीनीकृत नहीं हुआ है। स्पष्ट है कि निगरानीकर्तागण द्वारा विवादित सम्पत्ति से सम्बन्ध पक्षकारों के मध्य हुए समझौतेनामे के आधार पर हुआ था। वर्तमान में समझौतानामा अस्तित्व में रहने का कोई अभिलेख पत्रावली पर नहीं है। विवादित सम्पत्ति पर अध्यासन के सन्दर्भ में अवर न्यायालय द्वारा अपना निष्कर्ष पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दिया गया है।

9. निगरानीकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था **भुवल प्रसाद बनाम द्वितीय अपर जिला जज एवं अन्य 1997 लीगल ईगल (इलाहाबाद) पृष्ठ–1189** प्रस्तुत की गयी है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि धारा–397 द0प्र0सं0 के प्रावधानों के अनुसार निगरानी न्यायालय अपने निष्कर्ष को पक्षकारों के साक्ष्य रिएप्रीसिएट करते हुए अधिरोपित नहीं करेगी। इस बिन्दु पर न्यायालय इस मत की है कि यह सही है कि निगरानी न्यायालय द्वारा आदेश की वैधानिकता व क्षेत्राधिकारिता के सम्बन्ध में ही आदेश पारित किया जाना न्यायोचित है। निगरानीकर्तागण की ओर से एक अन्य विधि व्यवस्था **अशोक कुमार बनाम स्टेट ऑफ उत्तराखण्ड 2013 (3) जे0आई0सी0 पृष्ठ–309** प्रस्तुत की गयी है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि धारा–146 (1) द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सम्पत्ति का अटैचमेन्ट किया जाना उन दशाओं में उचित नहीं है, जबकि पक्षकार गलत या सही प्रकार से सम्पत्ति के अध्यासन में है। प्रस्तुत प्रकरण में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा इस बिन्दु पर यह निष्कर्ष दिया गया है कि '' विवादित दुकान पर वादिनी का कब्जा बैहैसियत किरायेदारी व बहैसियत भागीदारी विलेखा माना जायेगा। इस प्रकार विपक्षी का प्रश्नगत दुकान पर न तो कोई कब्जा है और न ही कोई अधिकार है। '' इसी क्रम में निगरानीकर्तागण की ओर से एक अन्य विधि व्यवस्था **छेद्दू एवं अन्य बनाम शमशुलनिशां एवं अन्य 2015 (3) जे0आई0सी0 पृष्ठ–46** प्रस्तुत की गयी है। उक्त विधि व्यवस्था में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि सिविल कोर्ट में वाद संस्थित होने के पश्चात् धारा–145 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत कार्यवाही पोषणीय नहीं रह जाती है। निगरानीकर्तागण द्वारा यह भी कथन किया गया है कि प्रस्तुत मामले में विपक्षी द्वारा मूलवाद सं0–613/2013 कमला देवी बनाम श्याम सुन्दर योजित किया जा चुका है। इस बिन्दु पर उपरोक्त सन्दर्भित विधि व्यवस्था के परिशीलन से विदित होता है कि सन्दर्भित विधि व्यवस्था की परिस्थितियॉ प्रस्तुत मामले से भिन्न हैं। उक्त सन्दर्भित विधि व्यवस्था में ही विधि व्यवस्था **झुम्मामल बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश** का उल्लेख किया गया है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मात्र सिविल वाद संस्थित हो जाने पर धारा–145 द0प्र0सं0 की कार्यवाही को निष्प्रभावी न होने का कथन किया गया है। ऐसी दशा में इस विधि व्यवस्था का लाभ निगरानीकर्तागण को दिया जाना विधिसम्मत् नहीं है। निगरानीकर्तागण द्वारा एक अन्य विधि व्यवस्था **बनवारी लाल बनाम रजवारी 1991 लीगल ईगल (इलाहाबाद) पृष्ठ–286** प्रस्तुत की गयी है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया था कि न्यायालय द्वारा मात्र यह देखा जाना है कि कौन सा पक्षकार विवादित सम्पत्ति के वास्तविक अध्यासन में प्रारम्भिक आदेश के दो माह पूर्व तक था। इस बिन्दु पर न्यायालय इस मत की है कि प्रस्तुत प्रकरण में विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पक्षों की साक्ष्य लेने के उपरान्त विवादित सम्पत्ति में अध्यासन के सम्बन्ध में अपना निष्कर्ष दिया गया है। ऐसी दशा में निगरानीकर्तागण को उपरोक्त विधि व्यवस्था का लाभ नहीं दिया जा सकता है। इसी क्रम में निगरानीकर्तागण द्वारा एक अन्य विधि व्यवस्था **शरद यादव उर्फ गप्पू एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य 2013 (3) जे0आई0सी0 पृष्ठ–505** प्रस्तुत की गयी है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया था कि सम्पत्ति का अटैचमेन्ट मात्र तभी दिया जा सकता है, जबकि मजिस्ट्रेट कब्जे के सन्दर्भ में अपना निष्कर्ष देने में सक्षम न हो, किन्तु जहॉ पक्षकार के अध्यासन के

सन्दर्भ में निष्कर्ष दिया जाना सम्भव हो, वहॉ सम्पत्ति का अटैचमेन्ट किया जाना चाहिये।

10. प्रस्तुत प्रकरण में विवादित भूखण्ड पर विपक्षी की किरायेदारी होना स्वीकृत तथ्य है। निगरानीकर्तागण का उक्त भूखण्ड में प्रवेश भागीदारी विलेख से ही होता है। उक्त भागीदारी विलेख सन् 2014 के बाद अस्तित्व में नहीं रह गया है। वर्ष 2014 के पश्चात् भागीदारी विलेख के अस्तित्व में न रह जाने पर निगरानीकर्तागण का विवादित दुकान पर कब्जे का कोई आधार नहीं रह जाता है। विपक्षी द्वारा भागीदारी विलेख के समय के बिक्री रजिस्टर आदि भी प्रस्तुत किये गये हैं और यह भी कथन किया गया है कि उक्त दुकान में वास्तव में विपक्षी बैठता था और दुकान पर वास्तविक कब्जेदारी उसी की बनी रही। इस बिन्दु पर कागज सं0—186 महत्वपूर्ण है, जो यह दर्शित करता है कि श्याम सुन्दर (निगरानीकर्ता) ने देशी/विदेशी मदिरा, बियर की निकासी के लिये राजदीप चौधरी पुत्र जय किशन चौधरी, निवासी म0नं0—59/129 पुरानी दालमण्डी, कानपुर—नगर के लिये अधिकृत कर रखा था। स्पष्ट है कि निगरानीकर्ता ने उक्त दुकान में विपक्षी के माल आपूर्ति के लिये ही प्राधिकृत कर रखा है। इस अधिकार—पत्र कागज सं0—186 से भी निगरानीकर्ता का उक्त दुकान में अध्यासन संदिग्ध प्रतीत होता है। वर्ष 2014 के पश्चात् भागीदारी विलेख के समाप्त होने के उपरान्त निगरानीकर्तागण का दुकान में अध्यासन भी संदिग्ध हो जाता है। यह न्यायालय इस मत की है कि विद्वान अवर न्यायालय दिया गया निष्कर्ष विधि एवं तथ्यों के उचित निर्वचन पर आधारित है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। अतः आलोच्य आदेश दिनांकित 03.10.2020 बहाल किये जाने योग्य है तथा निगरानी निरस्त होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

निगरानीकर्तागण की ओर से प्रस्तुत फौजदारी निगरानी सं0—149 सन् 2020 निरस्त की जाती है। विद्वान विचारण न्यायालय नगर मजिस्ट्रेट, कानपुर—नगर द्वारा मुकदमा वाद सं0—201/2019 कमला देवी चौधरी बनाम श्याम सुन्दर जायसवाल आदि में पारित आदेश दिनांकित 03.10.2020 की पुष्टि की जाती है।

इस निर्णय/आदेश की एक प्रति विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली सहित विद्वान विचारण न्यायालय में भेजी जाए।

<u>दिनांक—17.02.2023</u>

(अजय कुमार त्रिपाठी—II)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0—01,
कानपुर नगर।

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

<u>दिनांक—17.02.2023</u>

(अजय कुमार त्रिपाठी—II)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0—01,
कानपुर नगर।

Digitally signed by Ajay Kumar Tripathi
Date: 2023.02.17 13:06:15 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court